

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०-1/ए०-1-102/2015-653

पटना, दिनांक- 10.09.2025

माननीय उच्च न्यायालय, पटना अंतर्गत दायर एम०जे०सी० सं०-1401/2025 (स्नेही कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों एवं एम०जे०सी० सं०-1763/2025 (सुधांशु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों में दिनांक-29.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-06, दिनांक-04.09.2025 के द्वारा विज्ञापन सं०-02/2017 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के संलग्न सूची के अनुरूप कुल-02 (दो) उम्मीदवारों को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतन लेवल-09 (वेतनमान-53100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नांकित शर्तों के साथ औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

(i) इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य देय वित्तीय लाभ सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वास्तविक कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

(ii) यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है, जिसके लिये उनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात् पुलिस वेरिफिकेशन प्रतिवेदन प्रतिकूल रहने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी और अगर कोई राशि वेतन इत्यादि में प्राप्त की गयी होगी तो वह वसूलनीय होगी।

(iv) मूल प्रमाण पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(v) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय) कार्यालय या पदस्थापन से संबंधित कार्यालय में योगदान/पदग्रहण करने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(vi) बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली-2024 एवं सरकारी सेवक परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली-2025 के प्रावधानों के आलोक में नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) को बिपार्ड, पटना से तिथि निर्धारण होने के उपरांत प्रशिक्षण हेतु सूचना अलग से दी जायेगी।

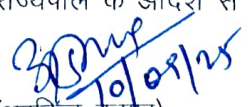
(vii) नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के द्वारा दहेज नहीं लेने-देने संबंधी प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित किया गया है, उन्हें योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा। योगदान के साथ विहित प्रपत्र में सम्पत्ति विवरणी देना होगा।

(viii) नवनियुक्त ऐसे सहायक अभियंता (असैनिक) जो पूर्व में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग का विरमन आदेश/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ix) आरक्षण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर किसी उम्मीदवार के संबंध में विसंगतियाँ पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(x) यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष इस संदर्भ में किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

अनु०-02 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अरविन्द कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 654

पटना, दिनांक- 10.09.2025

प्रतिलिपि-दो अतिरिक्त प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 654

पटना, दिनांक- 10.09.2025

प्रतिलिपि- अवर सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रसारित।

अनु0-यथोपरि।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 654

पटना, दिनांक- 10.09.2025

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 654

पटना, दिनांक- 10.09.2025

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-06 लो0से0आ0/गो0, दिनांक-04.09.2025 के प्रसंग में/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-7825 (S), दिनांक-08.09.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 654

पटना, दिनांक- 10.09.2025

प्रतिलिपि:-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/निदेशक, प्रांजल/सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) /सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी कंट्रोल रूम/विभागीय आई0टी0 मैनेजर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/विभागीय डाक पटल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी संबंधित नव नियुक्त सहायक अभियंताओं (असैनिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/ए0-1-102/2015- 654

पटना, दिनांक- 10.09.2025

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

सरकार के अपर सचिव

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं०-02/2017 के अंतर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नवनियुक्त कुल-02 सहायक अभियंताओं की सूची :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक / मेधा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
1	223199/ 2111	सुश्री दृष्टि श्रीवास्तव, गोरखपुर (उ०प्र०)	22.03.96	UR/ UR	सुश्री दृष्टि श्रीवास्तव, पिता-श्री दीना नाथ श्रीवास्तव, म०न०-HIG193, शास्त्रीपुरम कॉलोनी, पो०+थाना-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-273015	
2	201414/ 2200	श्रीमती कुमारी प्रतिभा, नालंदा	04.02.90	UR/ UR	श्रीमती कुमारी प्रतिभा, पिता-श्री नवीन कुमार, आस्था सदन, गढ़पर, बिहार शरीफ, जिला-नालंदा, पिन-803101	